न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः— श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 94/2011

दायरा तिथि 18.11.2011

निर्णय तिथि 2.11.2016

वादीगण	बनाम :	प्रतिवादी
1. स्व. दीपा पुत्र वगताजी के का.मु. 1.1 मगाराम पुत्र दीपाजी 1.2 नरसाराम पुत्र दीपाजी 2. स्व. लकमा पुत्र वगता के का.मु. 2.1 छोगाराम पुत्र लकमाजी 2.2 मानीबाई बेवा लकमाजी 2.3 प्रवीणकुमार पुत्र गणेशमल 2.4 अशोककुमार पुत्र गणेशमल 2.5 मुकेश पुत्र गणेशमल 2.6 शांतिलाल पुत्र गणेशमल 2.7 गोपाराम पुत्र गणेशमल शांतिलाल, गोपाराम, नाबालिग जरिये छोगी बेवा गणेशमल 3. स्व. समाराम उर्फ समीया पुत्र वगताजी के का.मु. 3.1 लच्छाराम पुत्र समाराम 3.2 प्रभुराम पुत्र समाराम 3.3 रमश कुमार पुत्र समाराम 3.4 सुरेश पुत्र समाराम तमाम जातिगण घांची निवासीगण सुमेरपुर तह. सुमेरपुर जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTAct,1955

उपस्थित :—

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मुलसिंह देवडा उपस्थित।
2. प्रतिवादी की ओर से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित।

—: निर्णय :—

निर्णय दिनांक 2.11.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है—

(1) कि वादीगण ने वादपत्र में निवेदन किया है कि सरहद मौजा जाखोडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी गत खसरा नं. 170/1 रकबा 16 बीघा व खसरा नं. 170/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नं. 359 रकबा 3.43 हैक्टर किस्म जवाई नहरी है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता स्व. वगता पुत्र चेला का पुराना कब्जा काश्त रहा है व लगातार कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि अति. जिलाधीश महोदय पाली द्वारा वादी के पिता वगता को दिनांक 08.07.1977 को नियमन की गयी थी। नियमन होने पर श्री वगता द्वारा आरक्षित मूल्य एवं शास्ती जमा करा दी एवं तब से ही कब्जा लगातार चला आ रहा है, नियमन का गिरदावरियों में भी इन्द्राज किया गया है। किन्तु भू—प्रबंध अधिकारियों ने वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया गया। इस भूमि की सिचांई भी जवाई नहर से होती है जिसका सिचाई कर भी वादी द्वारा अदा किया गया है। खसरा न. 359 पूर्व के खसरा नं. 170 से ही बना है। मूल खसरा नं. 170 को ही विभक्त कर खसरा नं. 170/1 एवं 170/2 नियत किये गये है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का नियमन से पूर्व व आज तक कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, लेकिन राजस्व सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

लगातार पेज— 2

Scanned by CamScanner

ने इस भूमि को वादीगण के नाम आज तक खातेदारी मे दर्ज नही की गई है। वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। भूमि सिवायचक दर्ज होने से वादीगण के विरूद्ध धारा 91 आर. एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही करके जुर्माना आरोपित करने व बेदखल करने पर तहसीलदार (प्रतिवादी) आमादा रहते है। वाद वादीगण स्वीकार कर व डिक्री फरमाकर वादग्रस्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कराने एवं वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे , इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन करने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया।

(2) कि सरकारी पैरोकार तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात वादी की ओर से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील वादी ने शहादत के रूप में नायब तहसीलदार बाली के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–1, अति. जिलाधीश पाली के नियमन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 धारा 91 के नोटिस संवत् 2030 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी संवत् 2037 से 2040 प्रदर्श–5, रसीद राशि 1500/– रूपये प्रदर्श–6, जुर्माना राशि रसीद प्रदर्श–7, आरक्षित मूल्य इत्यादि राशि जमा रसीदें प्रदर्श–8 से प्रदर्श–12 तक, नोटिस अन्तर्गत 91 आर.एल.आर. एक्ट संवत् 2051 प्रदर्श–13, नोटिस संवत् प्रदर्श–14 कायम करवाये गये। वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू.–1 छोगाराम, पी.डब्ल्यू.–2 समाराम के बयान साक्षी स्वरूप कलमबद्ध कराये गये। शहादत वादी समाप्त होने पर प्रतिवादी की ओर से पटवारी हल्का कोलीवाडा श्री नवाब खां के बयान कलमबद्ध किये गये। उभय पक्षों की ओर से बहस समायत की गई। बहस सुनी जाकर तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी , सुमेरपुर द्वारा दिनांक 07.10.2011 को वाद खारिज कर देने से व्यथित होकर वादी ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायलय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुनकर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2011 को अपास्त किया गया । इस न्यायालय को निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि "वाद में तनकियात कायम की जाकर विस्तृत विवेचन के साथ अपना विधि सम्मत एवं पूर्ण निर्णय पारित करे।" जिस पर पुनः वाद नये सिरे से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुमेरपुर की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर का जवाब प्राप्त कर रेकर्ड पर लिया गया तथा तनकियात कायम की गई। वादीगण की ओर से पी.डब्ल्यू.–3 भगाराम , अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.–4 जालमसिंह , पी.डब्ल्यू.–5 पुखराज के द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्र को ब्यान स्वरूप शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से डी. डब्ल्यू–1 पटवारी हल्का कोलीवाडा श्री दिनेश कुमार के बयान कलमबद्ध किये गये। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे पत्रावली पर लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज एवं तत्कालिन पटवारी कोलीवाडा श्री नवाब खां के बयान अनुसार वादग्रस्त आराजी दिनांक 27.05.1977 को अति. जिलाधीश महोदय पाली द्वारा वादीगण को नियमन हो चुकी है। हाल खसरा नं. 359 मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं. 170 से बने है। नियमन आदेश दिनांक 27.05.1977 किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही हुआ है। प्रदर्श–5 में सवत् 2037–40 की गिरदावरी में खाना कैफियत में लाल स्याही का नोट "नियमन दिनांक 08.07.1977 लगा हुआ है। नियमन का नामान्तरकरण के अधिकार भू–प्रबंध विभाग को थे। सवंत् 2040 में सेटलमेंट कार्यवाही विचारधीन थी। वादग्रस्त भूमि वादीगण की नियमन सुदा भूमि है तथा नियमन आदेश का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नही होने से वादीगण को अतिक्रमी माना जा रहा है।

(3) कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत संवत 2037–40 खसरा गिरदावरी प्रदर्श–5 आरक्षित मूल्य जमा रसीदे प्रदर्श–6 इत्यादि लगाये दस्तावेज साक्ष्य को तहसीलदार (भूमिधारी) प्रतिवादी अथवा सरकारी पैरोकार द्वारा अन्य साक्ष्य द्वारा विखण्डित नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आरक्षित मूल्य व ब्याज की रशीदों को नही मानने का कोई ठोस

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

आधार नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तहसीलदार बाली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 770 दिनांक 08.07.1977 के द्वारा पटवारी हल्का कोलीवाडा को निर्देश दिये गये है कि आवंटन का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया जावे किन्तु पटवारी हल्का द्वारा इन्द्राज नही हो पाया। वादीगण ने अपने वाद पत्र मे मुख्य रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा पारित आदेश जरिये वादीगण के नाम नियमन की गयी थी तथा उसी आदेश की पालना मे 2037–40 मे प्रतिवादी के आदेश की पालना मे गिरदावरी मे लाल स्याही मे इन्द्राज किया गया। वाद के कथनो व इन्द्राज मे प्रविष्ठी का प्रतिवादी द्वारा कोई खण्डन नही किया है साथ ही जिलाधीश महोदय के उक्त वर्णित आदेश को आदिनांक तक निरस्त नही किया गया है। अति. जिला कलक्टर महोदय पाली के कथित नियमन आदेश दिनांक 27.05.1977 अनुसार पांच वार्षिक किस्तों में आरक्षित मूल्य 150 रूपये प्रति बिघा की दर से 3112.50 रूपये जमा कराने पर वादी वक्ता चैला को राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे ,जिस पर वादी द्वारा उक्त तमाम राशि राजकोष में ऊपर वर्णित रसीदों द्वारा जमा करवा दी गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे यह साबित होता है कि वादी जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा जारी नियमन आदेश अनुसार को ग्राम जाखोडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि गत खसरा नं. 170/1 रकबा 16 बीघा व खसरा नं. 170/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नं. 359 रकबा 3.43 हैक्टर किस्म जवाई नहरी भूमि का नियमन भूमि का नये सेटलमेंट रेकर्ड में इन्द्राज नही कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वक्त नियमन से वादीगण का लगातार कब्जा होना प्रमाणित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात् हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त आराजी बाबत वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार करने एवं डिक्री किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। वादी को विवादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जाखोडा के खसरा नं. 359 रकबा 3.43 हैक्टर किस्म जवाई नहरी भूमि का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर , पटवारी हल्का कोलीवाडा माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे । साथ ही वादी को बतौर गैर खातेदार रेकर्ड मे दर्ज किया जावे। वादीगण की उपरोक्त कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 2.11.2016 को खुले न्यायालय सुमेरपुर में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
समेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner